

## आपातकालीन प्रावधान UPSC नोट्स | राष्ट्रीय, राष्ट्रपति एवं वित्तीय

### परिचय

भारत का संविधान, जो सामान्य परिस्थितियों में एक संघात्मक (Federal) ढांचे में कार्य करता है, में कुछ असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इन्हें आपातकालीन प्रावधान कहा जाता है, जो संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) में वर्णित हैं। ये प्रावधान राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, संवैधानिक तंत्र के विफल होने या वित्तीय अस्थिरता जैसी संकट की स्थितियों में केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे संघीय ढांचा अस्थायी रूप से एकात्मक (Unitary) स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है।

यह विषय UPSC प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में अनुच्छेदों, शर्तों और प्रक्रियाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मेन्स में संघवाद, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव का गहन विश्लेषण किया जाता है। वर्ष 2025 में 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में यह विषय करंट अफेयर्स में भी है।

इस लेख में हम भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों (emergency provisions in indian constitution) के तीनों प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके प्रभावों को समझेंगे और UPSC के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों एवं केस स्टडीज को शामिल करेंगे।

### भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान क्या हैं ?

आपातकालीन प्रावधान कानून का एक ऐसा विशेष सेट है जो सरकार को 'सामान्य कानूनी प्रक्रिया' के दायरे से बाहर जाकर, असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। संविधान निर्माताओं ने ये शक्तियां इसलिए रखी ताकि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाहरी या आंतरिक खतरों से बचाया जा सके। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान का 'दिल और आत्मा' न कहकर एक 'सुरक्षा वाल्व' (Safety Valve) की संज्ञा दी थी।

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) - अनुच्छेद 352
2. राष्ट्रपति शासन (President's Rule / State Emergency) - अनुच्छेद 356
3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) - अनुच्छेद 360

### 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

यह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है। अब तक भारत में तीन बार (1962, 1971, 1975) राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है।

#### (A) घोषणा के आधार (Grounds of Proclamation)

अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है:

- युद्ध (War), या
- बाह्य आक्रमण (External Aggression), या



- सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)।

महत्वपूर्ण परिवर्तन:

- 38वां संशोधन (1975): राष्ट्रपति की संतुष्टि को 'अंतिम और निर्णायक' (Conclusive) बनाया, जिसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
- 44वां संशोधन (1978): इस असंवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में लाया जा सकता है।

### (B) संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि (Parliamentary Approval & Duration)

राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया को समझना UPSC के लिहाज से बेहद जरूरी है:

चरण	प्रक्रिया	समय सीमा
प्रारंभिक घोषणा	राष्ट्रपति द्वारा (लिखित आदेश के माध्यम से)	तत्काल प्रभाव से
अनुमोदन	संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (Special Majority) से स्वीकृति	घोषणा के 1 माह के भीतर
प्रारंभिक अवधि	एक बार अनुमोदन मिलने पर	6 माह
पुनः अनुमोदन	प्रत्येक 6 माह की समाप्ति पर संसद का पुनः अनुमोदन आवश्यक	अनिश्चित काल तक
अधिकतम सीमा (44वां संशोधन)	आपातकाल को लगातार 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता	3 वर्ष (अब यह प्रावधान निरस्त हो गया है वास्तव में)

विशेष परिस्थिति: यदि लोकसभा भंग हो चुकी है, तो अनुमोदन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए।

### (C) उद्घोषणा की समाप्ति (Revocation)

- राष्ट्रपति द्वारा: राष्ट्रपति किसी भी समय बिना संसदीय स्वीकृति के नई उद्घोषणा जारी करके आपातकाल समाप्त कर सकते हैं।
- लोकसभा द्वारा: लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तो आपातकाल समाप्त हो जाता है।

### राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव (Effect of National Emergency)

यही वह भाग है जो संघात्मक स्वरूप को बदलकर रख देता है। आइए, इसके प्रभावों को विभिन्न पहलुओं में बांटकर समझते हैं।

#### (A) केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव (Effect on Centre-State Relations)



राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संघ की प्रकृति अस्थायी रूप से एकात्मक (**Unitary**) में बदल जाती है। केंद्र सरकार को राज्यों पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन:

विषय	सामान्य स्थिति	राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद 353)	केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप सीमित है।	केंद्र राज्यों को कानून बनाने या प्रशासन चलाने के लिए निर्देश दे सकता है।
विधायी क्षेत्राधिकार	केंद्र सूची में कानून बनाता है; राज्य सूची राज्यों के पास।	राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है (अनुच्छेद 354 के अनुसार, लेकिन ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं)।
राष्ट्रपति शासन की अवधि	सामान्यतः अधिकतम 1 वर्ष।	राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक।

## (B) अंतरराज्यीय संबंधों पर प्रभाव

हालांकि सीधे तौर पर अंतरराज्यीय व्यापार या जल विवादों पर अनुच्छेद 352 का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन केंद्र को मिली असीमित शक्तियां राज्यों की बातचीत की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। केंद्र, आपातकाल के नाम पर, दो राज्यों के बीच व्यापार या आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही, अनुच्छेद 355 (केंद्र का राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अत्यधिक सक्रिय हो जाता है।

## (C) मौलिक अधिकारों पर प्रभाव (Effect on Fundamental Rights)

यह आपातकाल का सबसे विवादास्पद और चर्चित पहलू है। संविधान के अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 इससे जुड़े हैं।

अनुच्छेद 358: अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन

अनुच्छेद 358 का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव:

- स्वरूप: जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार, वृत्ति का अधिकार) स्वतः ही निलंबित (**Automatically Suspended**) हो जाते हैं।
- प्रभाव: इसका अर्थ है कि आपातकाल के दौरान राज्य इन छह अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी कानून बना सकता है, और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
- 44वें संशोधन के बाद बदलाव: यह निलंबन केवल तभी लागू होता है जब आपातकाल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर लगाया गया हो। यदि 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता।



अनुच्छेद 359: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन

अनुच्छेद 359 का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव:

- स्वरूप: यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह एक आदेश के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (**Enforcement**) को निलंबित कर सकता है।
- प्रभाव: अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होते, लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार (**Right to Constitutional Remedy - अनुच्छेद 32**) निलंबित हो जाता है।
- 44वें संशोधन के बाद बदलाव: इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 359 के तहत भी अनुच्छेद 20 (दोहरे खतरे से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 358 और 359 के बीच मुख्य अंतर (**Difference between Article 358 and 359**)

UPSC में अक्सर इस अंतर को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर:

आधार	अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359
प्रभावित अधिकार	केवल अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार	सभी मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)
प्रक्रिया	स्वतः ( <b>Automatically</b> ) प्रभावी जैसे ही आपातकाल लागू होता है	राष्ट्रपति के आदेश ( <b>Presidential Order</b> ) की आवश्यकता होती है
परिणाम	अधिकारों का स्वतः निलंबन ( <b>Suspended</b> )	अधिकारों के प्रवर्तन ( <b>Enforcement</b> ) का निलंबन (अर्थात् न्यायालय नहीं जा सकते)
44वें संशोधन के बाद सीमाएं	केवल बाहरी आपातकाल (युद्ध/आक्रमण) में ही स्वतः निलंबन	अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते

## 2. राष्ट्रपति शासन (**President's Rule / State Emergency**) - अनुच्छेद 356

इसे 'संवैधानिक आपातकाल' या 'राज्य आपातकाल' भी कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य देता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार चले। यदि ऐसा नहीं होता, तो अनुच्छेद 356 लागू होता है।

(A) राष्ट्रपति शासन कब लगता है?

अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

प्रमुख कारण हो सकते हैं:

- विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने में असमर्थता।



- राज्य में कानून व्यवस्था का पूर्णतः पतन।
- राज्य सरकार द्वारा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना।
- किसी आपात स्थिति (प्राकृतिक आपदा आदि) के बाद प्रशासन चलाने में असमर्थता।

#### (B) राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया एवं अवधि

- संसदीय अनुमोदन: राष्ट्रपति द्वारा घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।
- अवधि: अनुमोदन के बाद यह 6 माह के लिए प्रभावी रहता है।
- विस्तार: हर 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे बढ़ाया जा सकता है, परंतु अधिकतम 3 वर्ष। 44वें संशोधन के बाद इसे और सख्त किया गया।

#### (C) राष्ट्रपति शासन के परिणाम (Consequences)

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य पर क्या असर पड़ता है:

- विधानमंडल का निलंबन या विघटन: राज्य विधानसभा को निलंबित (**Suspended**) या भंग (**Dissolved**) कर दिया जाता है।
- कार्यपालिका की शक्तियां: राष्ट्रपति राज्य के सभी कार्यकारी अधिकार अपने हाथ में ले लेता है। सरकार राज्यपाल के माध्यम से चलाई जाती है।
- विधायी शक्तियां: संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां या तो समाप्त हो जाती हैं या संसद के पास चली जाती हैं।
- न्यायिक समीक्षा (**S.R. Bommai Case, 1994**): यह सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने **S.R. बोम्मई** मामले में कहा कि:
  - अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - यह एक अंतिम उपाय (**Last Resort**) होना चाहिए, न कि राजनीतिक साजिश का हथियार।
  - यदि प्रोक्लेमेशन गलत पाया जाता है, तो कोर्ट विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।

### 3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) - अनुच्छेद 360

यह सबसे कम चर्चित और अब तक कभी न लागू किया गया प्रावधान है।

#### (A) घोषणा के आधार

यदि राष्ट्रपति को संतुष्टि हो जाती है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता (**Financial Stability**) या साख (**Credit**) को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।

#### (B) संसदीय अनुमोदन

- राष्ट्रपति की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है।
- यह आपातकाल अनिश्चित काल (Indefinite) तक रह सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें।

#### (C) राष्ट्रपति शासन के परिणाम

वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को जो अधिकार मिलते हैं:

- राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है।
- राज्य के कर्मचारियों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है।



- सभी वित्तीय विधेयकों (Money Bills) पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक हो जाती है।

## ऐतिहासिक उदाहरण एवं केस स्टडीज

### 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल: सबसे काला अध्याय

- तारीख: 25 जून, 1975।
- आधार: 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance)।
- तथ्य: तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया।
- प्रभाव: प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, राजनीतिक हत्याएं, और अनुच्छेद 358 एवं 359 को लागू करके नागरिक स्वतंत्रता छीनी गई।
- परिणाम: आपातकाल 21 मार्च, 1977 तक चला। इसने 'कठपुतली संसद' (Rubber Stamp Parliament) और 42वें संशोधन (Mini Constitution) जैसी विवादास्पद चीजों को जन्म दिया। बाद में 44वें संशोधन द्वारा गलतियों को सुधारा गया।

### मिनर्वा मिल्स केस (1980)

- तथ्य: 42वें संशोधन (1976) ने धारा 4 और 55 के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी (निदेशक सिद्धांत) को प्राथमिकता दे दी थी।
- निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति (अनुच्छेद 368) 'बुनियादी ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (डीपीएसपी) के बीच संतुलन बुनियादी ढांचा है।

### मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (2025-2026)

- तथ्य: मणिपुर में मैतेई और कूकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा (मई 2023 से) बढ़ती गई। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया।
- स्थिति: 13 फरवरी, 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लगभग एक वर्ष तक केन्द्र शासन रहा।
- वापसी: 4 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार बनी। यह UPSC मेन्स के लिए एक बेहतरीन करंट अफेयर्स उदाहरण है, जो दिखाता है कि किस प्रकार संवैधानिक तंत्र के टूटने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में हुआ।

## UPSC Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: इन्हें जरूर रटें

- कुल अनुच्छेद: 352 से 360 तक (भाग XVIII)।
- राष्ट्रीय आपातकाल (352) की जगह: संविधान के 'भाग XVIII' में।
- 'Internal Disturbance' का शब्द हटाया: 44वें संशोधन (1978) ने, सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) शामिल किया।
- अनुमोदित होने वाली आपातकाल: 1975 का आपातकाल (जनवरी 1977 में अनुमोदित)।
- राष्ट्रपति शासन के लिए डिफॉल्ट अवधि: 6 माह (अनुच्छेद 356)।
- सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन: पंजाब (1987-1992) और जम्मू-कश्मीर (2018-2019)।
- वित्तीय आपातकाल (360) का आधार: 'वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा'।
- अनुच्छेद 355: केंद्र का राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य।
- S.R. बोम्मई केस में मुख्य निर्णय (1994): अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन।
- 44वें संशोधन के तहत अधिकतम अवधि: राष्ट्रीय आपातकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं (अब प्रभावी नहीं)।



## UPSC Mains Analysis

### सकारात्मक पक्ष (Strengths)

- देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा।
- असाधारण परिस्थितियों (युद्ध, सशस्त्र विद्रोह) में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता।
- 44वें संशोधन ने कई दुरुपयोगी प्रावधानों को हटाकर संतुलन स्थापित किया।

### चुनौतियाँ एवं आलोचना (Challenges & Criticism)

- अति प्रयोग (Overuse): अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दलों द्वारा विपक्षी सरकारों को हटाने के लिए दुरुपयोग।
- नागरिक स्वतंत्रता का हनन: अनुच्छेद 358 व 359 के तहत मौलिक अधिकारों का दमन।
- फेडरलिज्म की कमजोरी: यह संघात्मक ढांचे को कमजोर करता है।
- बिना कारण के प्रयोग: 'आंतरिक अशांति' जैसे अस्पष्ट शब्द का दुरुपयोग (44वें संशोधन से पहले)।

### सुधार के उपाय (Reforms)

- बोम्मई फॉर्मूला: अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ एवं अंतिम विकल्प होना चाहिए।
- न्यायिक निगरानी (Judicial Scrutiny): आपातकाल के आदेशों की न्यायिक समीक्षा को और मजबूत करना।
- राजनीतिक सहमति: किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले एक सर्वदलीय सहमति बनाना।
- जन जागरूकता: लोगों को अनुच्छेद 20 और 21 जैसे अहम अधिकारों के बारे में जागरूक करना।

### Current Affairs Connection (ताजा घटनाक्रम 2025-26)

- 2025: 1975 के आपातकाल (Internal Disturbance) के 50 वर्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (2025-2026): केंद्र सरकार ने लगभग 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रखा।
- GST परिषद बनाम संघवाद: विशेष राज्यों को मुआवजा देने के मुद्दे पर केंद्र-राज्यों के बीच तनाव, जो याद दिलाता है कि आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग भले कम हो गया है, लेकिन धन और शक्ति का असंतुलन बना हुआ है।

### PYQ Perspective

#### Prelims Pattern

प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

- किस अनुच्छेद में 'Internal Disturbance' को हटाकर 'Armed Rebellion' रखा गया? (44वां संशोधन)।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित कब होता है (बाहरी आपातकाल में)।
- राष्ट्रपति शासन के बारे में S.R. बोम्मई मामले का निर्णय।
- अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को कौन से अधिकार देता है?

#### Mains Pattern



- **2018:** "The emergency provisions of the Indian Constitution are both a boon and a bane." Discuss.
- **2020:** "The misuse of Article 356 has often been cited as a threat to Indian federalism. How have judicial interventions like the S.R. Bommai case helped in curbing this misuse?"
- **2023:** "In the light of recent events, critically examine the impact of National Emergency on Fundamental Rights."
- **2025 (संभावित):** मणिपुर के संदर्भ में, क्या आपातकालीन प्रावधान (विशेषकर अनुच्छेद 356) संघीय ढांचे के लिए एक आवश्यक बुराई हैं या राजनीतिक हथियार ?

## Quick Revision Notes (Topper की निगाह से)

- आपातकाल के प्रकार: राष्ट्रीय (352), राज्य (356), वित्तीय (360)।
- **352** का शब्द: "War, External Aggression, Armed Rebellion"।
- अनुच्छेद **358**: Art. 19 का स्वतः निलंबन (केवल बाहरी आपातकाल में)।
- अनुच्छेद **359**: Art. 32 (Constitutional Remedies) का निलंबन (लेकिन 20 और 21 सुरक्षित)।
- **S.R. Bommai (1994)**: Art. 356 पर न्यायिक समीक्षा।
- **Minerva Mills (1980)**: FR और DPSP के बीच संतुलन बुनियादी ढांचा।
- **44वां संशोधन (1978)**: 'Internal Disturbance' हटाया, अनुच्छेद 358-359 को सीमित किया।
- राष्ट्रपति शासन पंजीकरण: सबसे अधिक बार (लगभग 120+ बार)।

## महत्वपूर्ण Keywords

- **Void ab initio** (शुरू से ही शून्य) - बोम्मई मामले में प्रयुक्त।
- **Due Process of Law** (विधि का उचित प्रक्रिया) - अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी सुरक्षित।
- **Federal Unitary** (संघीय-एकात्मक स्वरूप)।
- **Judicial Review** (न्यायिक समीक्षा)।
- **Prerogative Writ** (विशेषाधिकार रिट)।
- **Extra-Constitutional** (अतिसंवैधानिक)।

## FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

**प्रश्न 1:** राष्ट्रीय आपातकाल (**National Emergency**) के समय कौन से मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते ?

उत्तर: अनुच्छेद 20 (दोहरे खतरे से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) कभी निलंबित नहीं किए जा सकते।

**प्रश्न 2:** राष्ट्रपति शासन (**President's Rule**) और राष्ट्रीय आपातकाल (**National Emergency**) में अंतर क्या है ?

उत्तर: राष्ट्रीय आपातकाल (Art. 352) संपूर्ण देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लगता है और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। राष्ट्रपति शासन (Art. 356) किसी एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने पर लगता है और मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव नहीं डालता, हालांकि विधानसभा को निलंबित/भंग किया जा सकता है।

**प्रश्न 3:** क्या सुप्रीम कोर्ट आपातकाल के आदेश को चुनौती दे सकता है ?

उत्तर: हाँ। 1975 के आपातकाल के दुरुपयोग के बाद 44वां संशोधन (1978) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। S.R. बोम्मई मामले (1994) ने इसे मजबूत किया।



प्रश्न 4: 'Internal Disturbance' और 'Armed Rebellion' में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर: 'Internal Disturbance' (आंतरिक अशांति) एक व्यापक एवं अस्पष्ट शब्द था, जिसे 44वें संशोधन से पहले हटा दिया गया। इसके दुरुपयोग को रोकने लिए इसे 'Armed Rebellion' (सशस्त्र विद्रोह) से बदला गया।

प्रश्न 5: अनुच्छेद 355 का क्या महत्व है ?

उत्तर: यह केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य देता है कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। यह अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का आधार है।

## Practice Questions (UPSC अभ्यास)

### Prelims MCQs

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है ?

- A) अनुच्छेद 356
- B) अनुच्छेद 352
- C) अनुच्छेद 360
- D) अनुच्छेद 355

उत्तर: A) अनुच्छेद 356

2. 44वें संवैधानिक संशोधन (1978) के बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- A) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है।
- B) अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को भी निलंबित किया जा सकता है।
- C) अनुच्छेद 20 (दोहरे खतरे से संरक्षण) को राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है।
- D) अनुच्छेद 19 केवल 'War' या 'External Aggression' के कारण लागू आपातकाल में ही स्वतः निलंबित होता है।

उत्तर: D) अनुच्छेद 19 केवल 'War' या 'External Aggression' के कारण लागू आपातकाल में ही स्वतः निलंबित होता है।

3. निम्नलिखित में से किस केस ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है ?

- A) केशवानंद भारती केस
- B) मिन्वा मिल्स केस
- C) एस.आर. बोम्मई केस
- D) गोलकनाथ केस

उत्तर: C) एस.आर. बोम्मई केस

### Mains Questions (GS-II)

1. "भारत का संविधान, संघात्मक (Federal) होते हुए भी, अपने आपातकालीन प्रावधानों के कारण एकात्मक (Unitary) प्रवृत्तियों से युक्त है।" इस कथन के आलोक में, अनुच्छेद 352, 356 और 360 का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द, 15 अंक)
2. 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में, चर्चा करें कि 44वें संशोधन ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। क्या ये उपाय पर्याप्त हैं ? (250 शब्द, 15 अंक)



3. हाल के मणिपुर प्रकरण ने एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की प्रासंगिकता पर बहस छेड़ दी है। एस.आर. बोम्मई मामले के प्रकाश में, इस प्रावधान के संवैधानिक औचित्य और इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावनाओं का परीक्षण करें। (250 शब्द, 15 अंक)

### निष्कर्ष

भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान (emergency provisions in indian constitution) एक ऐसी तलवार की तरह हैं, जिसका उपयोग देश की रक्षा के लिए किया जाना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। 1975 के 'आपातकाल' ने यह सिखाया कि जब ये प्रावधान अस्पष्टता और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो संविधान और नागरिक स्वतंत्रताएं बंधक बन जाती हैं।

44वें संशोधन, मिन्वा मिल्स और एस.आर. बोम्मई के फैसलों ने इस असंतुलन को काफी हद तक सुधारा है। आज, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) इतना मजबूत हो चुका है कि उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता। फिर भी, यह आवश्यक है कि सरकारें और न्यायपालिका 'आपातकाल' का उपयोग केवल 'स्थायी अपवाद' के रूप में करें, न कि 'अस्थायी नियम' के रूप में। एक UPSC उम्मीदवार के रूप में, इन प्रावधानों को केवल तथ्यों के रूप में न पढ़ें; बल्कि 2025-26 के मणिपुर जैसे हालिया उदाहरणों से जोड़कर, एक संतुलित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। वास्तव में, एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां 'आपातकाल' शब्द का उल्लेख मात्र से संविधान सचेत हो जाता है, न कि उसे बार-बार लागू करने की आवश्यकता होती है।

